सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर**
**पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.**

**अपील संख्या 81/16** **निर्णय दिनांकः– 07–08–2019**

1. हाकम सिंह पुत्र लालराम जाति कुम्हार निवासी लालगढ़ जाटान जिला श्रीगंगानगर।

अपीलांट्

**–बनाम–**

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

**अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 11–08–2008**
**सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू**

**उपस्थितिः–**

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

**–निर्णय–**

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू के आदेश दिनांक 11–08–2008 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल का गरीब चयनित परिवार का काश्तकारी पेशा भूमिहीन किसान है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र वर्ष 2007 में पेश किया था जो एक वर्ष बाद वर्ष 2008 में अपने रिकार्ड पर लेकर

बिना सूचना दिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के साथ सद्भावी कृषक का प्रमाण पत्र, निर्वाचन सूची 2003 व अन्यत्र भूमि नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट द्वारा सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है जबकि अपीलांट द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ सद्भावी कृषक का प्रमाण पत्र व निर्वाचन सूची आदि प्रस्तुत किये गये थे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को अनदेखा करते हुए अपीलांट का आवेदन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। यदि अपीलांट को अवसर प्रदान किया जाता तो वह अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता था। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11—08—2008 के विरूद्व अपील दिनांक 19—08—10 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा

अपीलांट का प्रार्थना पत्र सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 11—08—2008 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 19—08—2010 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, आवेदक/अपीलांट हाकमसिंह ने दिनांक 11—09—2007 को 500/— रूपये जमा करवाकर चक 5 एएम I कोलायत के मुरब्बा नम्बर 152/50 की भूमि आवंटन करने का आवेदन सक्षम अधिकारी को पेश किया। आवेदन की जॉच के बाद सद्भावी काश्तकार का प्रमाण पत्र, 2003 की मतदाता सूची तथा अन्यत्र भूमि न होने का शपथ पत्र 27—03—2008 तक पेश करने का नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस 19—03—2008 को जारी होने का उल्लेख है तथा दस्तावेज पेश करने का समय दिनांक 27—03—2008 तक का है। निर्धारित समयावधि मात्र सात दिवस की होने के कारण आवेदक को डाक मिलने में विलम्ब होना संभावित था। आवेदक के आवेदन पत्र के साथ दिनांक 19—09—2007 को भूमि तस्दीक, सद्भावी काश्तकार तथा मतदाता सूची 1988, 1993 की प्रतियॉ उपलब्ध थी। प्रस्तुत दस्तावेजों में अन्यत्र भूमि तथा सद्भावी काश्तकार के बारे में समक्ष अधिकारी की रिपोर्ट, शपथ पत्र के साथ संलग्न थी। इसके बावजूद केवल आवेदन पत्र खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से आवेदन पत्र पर आक्षेप लगाये गये है तथा नोटिस रजिस्टर्ड डाक से

नहीं भेज केवल निर्गम दर्शाते हुए आवेदन खारिज कर दिया गया। आवंटन अधिकारी का उक्त आदेश मनमाना एवं अविवेकपूर्ण होने से पुष्टि योग्य आदेश नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बज्जू का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11—08—2008 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट के आवेदन को पुनः नम्बर पर लेते हुए अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07—08—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर